



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062026-273634  
CG-DL-E-19062026-273634

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3061]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2026/ज्येष्ठ 27, 1948

No. 3061]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2026/JYAISTHA 27, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 जून, 2026

**का.आ. 3183(अ).**—जबकि एनटीपीसी लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, दिल्ली - ११०००३, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना "छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लारा स्थित 1600 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना के लिए एनटीपीसी लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांसमिशन प्रणाली" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन विछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/58/2025-PG दिनांकित 09.06.2025 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना "छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लारा स्थित 1600 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना के लिए एनटीपीसी लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांसमिशन प्रणाली" के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था। इसके अलावा, सीटीयूआईएल द्वारा दी गई अंतिम कनेक्टिविटी में लारा II के लिए चंपा बस सेक्शन ए से चंपा बस सेक्शन बी तक कनेक्टिविटी के बिंदु में बदलाव के कारण पत्र संख्या 25-17/58/2025-पावर ग्रिड (एमओपी) दिनांक 24.03.2026 के माध्यम से धारा 68 के तहत अनुमोदन को संशोधित किया गया है।

एनटीपीसी लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों दैनिक भास्कर (हिंदी में) दिनांक 12.11.2025, जनकर्म (हिंदी में) दिनांक 04.11.2025, टाइम्स ऑफ़ इंडिया (अंग्रेजी में) दिनांक 05.11.2025, और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 06.12.2025 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम

जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, एनटीपीसी लिमिटेड ने दिनांक 19.05.2026 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया है, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत "छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लारा स्थित 1600 मेगावॉट ताप विद्युत परियोजना के लिए एनटीपीसी लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांसमिशन प्रणाली" के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

(i) लारा-II जनरेशन स्विचयार्ड (ग्राम छपौरा, जिला- रायगढ़, छत्तीसगढ़ में स्थित) – चांपा (बस सेक्शन-बी, केएसके 3×600 मेगावॉट के साथ) 400 केवी डबल सर्किट लाइन

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन छत्तीसगढ़ के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी:

क्र.सं.	ग्राम	तहसील	जिला	राज्य
1.	छपौरा, आरमुडा, रियापाली, ठेंगापाली, कसईपाली, बड़ेहल्दी, सोडेकेला, झुलनपाली, नवापारा, दर्रीपाली, देवलसुरा, बासनपाली, घुरनपाली, बाघाडोला, पुसौर, सराईपाली, केसापाली, गोतमा, छींच, लंकापाली, कोतासुरा, नंदेली, सुलोनी, कारीछापर, तिलगी, रैबार, कोतमरा, पुसल्दा, शंकरपाली, जतरी, लिटाईपाली, सेमीभांवर, सेमरा, तोरना, घुघवा	पुसौर	रायगढ़	छत्तीसगढ़
2.	बोरसी, सिरौली, मडवा, नवापारा, डोमनपुर, गोविन्दपुर, अमलडीहा, परसापाली, खोरसिया	चंद्रपुर	सक्ति	छत्तीसगढ़
3.	सपोस, छवारीपाली, भजपुर, किरारी, पुटीडीह, चुराघाठा, डभरा, ठाकुरपाली, सेमराडीह, हरदीडीह, ठनगन, छुहीपाली, छोटे कटेकोनी, रामभांठा, खोन्धर	डभरा	सक्ति	छत्तीसगढ़
4.	खेमडा, नगझर, बड़े सीपत, चारपारा, चिखली, नवापारा, कुरदा, पिरदा, बड़े रबेली, पिहरिद, सतगढ़, अमेराडीह, भूतहा	मालखरौदा	सक्ति	छत्तीसगढ़
5.	कचंदा, करौवांडीह, मुरलीडीह, खम्हारडीह, खजुरानी, कलमीडीह, बेलादुला, करमनडीह, सेमराडीह, भोथीडीह, पाड़ाहरदी, गुचकुलिया, शिकारीनार, नंदेली, कोटेतरा, दतौद, आमगांव, बेलकर्री, पथर्रा	जैजैपुर	सक्ति	छत्तीसगढ़

6.	पोंडीशंकर, लखुरी, बम्हनीडीह, चारपारा, बड़गड़ी, सोनईडीह	बम्हनीडीह	जांजगीर - चांपा	छत्तीसगढ़
7.	बरबसपुर, दाहिदा, हरदी हरी, कर्मा, रोगदा, सिऊंड, चोरगवां, बैसमुडी, डिंडोलडीह, बुडेना, जगमहंत, अंवरीद, चौराभाँठा, महंत, धनेली, दर्री, घुठिया	नवागढ़	जांजगीर - चांपा	छत्तीसगढ़
8.	कुटरा, भडेसर, खोखरा, मेहंदा, धाराशिव, पुटपुरा	जांजगीर	जांजगीर - चांपा	छत्तीसगढ़
9.	धनवा, तागा, तिलई, गढोला	अकलतरा	जांजगीर - चांपा	छत्तीसगढ़

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत, एनटीपीसी लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

- i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है।
- vi. एनटीपीसी लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा. सं. 25-16/58/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

**MINISTRY OF POWER****ORDER**

New Delhi, the 16th June, 2026

**S.O. 3183(E).**—Whereas NTPC Limited having its Registered Office at NTPC Bhawan, Scope Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, Delhi-110003, India, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to NTPC Limited for its 1600 MW Thermal Project in Lara, Raigarh, Chhattisgarh”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/58/2025-PG (MoP) dated 09.06.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to NTPC Limited for its 1600 MW Thermal Project in Lara, Raigarh, Chhattisgarh”. Further, the approval was revised vide its letter No. 25-17/58/2025-POWER GRID (MoP) dated 24.03.2026 due to change in point of connectivity for Lara II from Champa Bus Section A to Champa Bus Section B in the final connectivity granted by CTUIL.

NTPC Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Dainik Bhaskar (in Hindi) dated 12.11.2025, Jankarm (in Hindi) dated 04.11.2025, Times of India (in English) dated 05.11.2025 and in Weekly Gazette of India dated 06.12.2025 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 Months from the date of publication. Subsequently, NTPC Limited has submitted an affidavit dated 19.05.2026 declaring that no observation/representation was received within 2 Months from the date of Publication in the official gazette of Government of India and newspaper publications.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to NTPC Limited for its 1600 MW Thermal Project in Lara, Raigarh, Chhattisgarh”. The following overhead line is covered under this scheme:

(i) Lara-II Generation Switchyard (situated in village Chhapora, District- Raigarh, Chhattisgarh) - Champa (Bus Section B, with KSK 3\*600 MW unit) 400 kV D/c line

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of **Chhattisgarh**:

S. No.	Villages	Tehsil	District	State
1.	Chhapora, Aarmuda, Riyapali, Thengapali, Kasaipali, Badehaldi, Sodekela, Jhulanpali, Nawapara, Darripali, Deolsurra, Basanpali, Ghuranpali, Baghdadola, Pussore, Saraipali, Kesapali, Gotama, Chhinch, Lankapali, Kotasura, Nandeli, Suloni, Karichhappar, Tilagi, Raibaar, Kotmara, Pusalda, Shankarpali, Jatari, Litaipali, Semibhanwar, Semara, Torna, Ghughawa	Pussore	Raigarh	Chhattisgarh
2.	Borsi, Sirauli, Madwa, Nawapara, Domanpur, Govindpur, Amaldiha, Parsapali, Khorsiya	Chandrapur	Sakti	Chhattisgarh

3.	Sapos, Chhwaripali, Bhajpur, Kirari, Putidih, Churaghantha, Dabhra, Thakurpali, Semradih, Hardidih, Thangan, Chhuhipali, Chhote Katekoni, Rambhantha, Khondhar	Dabhara	Sakti	Chhattisgarh
4.	Khemda, Nagjhar, Bade Sipat, Charpara, Chikhli, Nawapara, Kurda, Pirda, Bade Raveli, Pihrid, Satgarh, Ameradih, Bhutha	Malkharoda	Sakti	Chhattisgarh
5.	Kachanda, Karauwadih, Murlidih, Khamhardih, Khajurani, Kalmidih, Beladula, Karmandih, Semaradih, Bhothidih, Padahardi, Guchkuliya, Shikarinar, Nandeli, Kotetara, Dataud, Amgaon, Belkarri, Patharra	Jaijaipur	Sakti	Chhattisgarh
6.	Pondishanker, Lakhurri, Bamhnidih, Charpara, Bargadi, Sonaidih	Bamhnidih	Janjgir-champa	Chhattisgarh
7.	Barbaspur, Dahida, Hardiharri, Karra, Rogda, Siund, Chorgawan, Bhaismudi, Dindoldih, Budena, Jagmahant, Aurid, Chaura Bhanta, Mahant, Dhaneli, Darri, Ghutiya	Nawagarh	Janjgir-champa	Chhattisgarh
8.	Kutra, Bhadesar, Khokhra, Mehanda, Dharashiv, Putpura	Janjgir	Janjgir-champa	Chhattisgarh
9.	Dhanwa, Taga, Tilai, Gadhola	Akaltara	Janjgir-champa	Chhattisgarh

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to NTPC Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities, i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance with the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. NTPC Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/58/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)